

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या-2419 वर्ष 2026

श्रीमती वर्तिका द्विवेदी और अन्य

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के ज़रिए एवं 3 अन्य

.....विपक्षी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : राघवेंद्र मणि ओझा, मयंकर सिंह

विपक्षी(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 11माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल मोइनमाननीय न्यायमूर्ति श्रीमती बबीता रानी

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों क्रमांक 1 से 3 के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के मददेनजर, प्रतिवादी संख्या 4 को नोटिस जारी नहीं की गयी।
3. वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है जिसमें उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं और याचिकाकर्ता संख्या 2 के परिवार के सदस्यों के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह से उत्पीड़न, धमकी और हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने के लिए परमादेश की रिट की मांग की गई है। इसके अलावा संबंधित पुलिस अधिकारियों-प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 4 से सुरक्षा प्रदान करें।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का तर्क यह है कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं और उन्होंने 27.02.2026 को आर्य समाज मंदिर, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ में अपनी इच्छा से एक-दूसरे से शादी की है। इस याचिका के साथ विवाह प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्नक-1 के रूप में संलग्न की गई है। याचिकाकर्ताओं के बालिग होने के समर्थन में, याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 ने इस याचिका में क्रमशः अनुलग्नक- 2 और 3 के हिस्से के रूप में अपनी हाई स्कूल मार्क-शीट की प्रतियां संलग्न की हैं, जिससे यह पता चलता है कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने एक हलफनामे द्वारा विधिवत समर्थित रिट याचिका में संकेत दिया है कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं। यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 शादी से खुश नहीं है और इस तरह वह याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में बाधा पैदा कर रहा है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

5. इस संबंध में लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य- 2006 (5) एससीसी 475 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें प्रस्तर-17 में शीर्ष न्यायालय ने निम्नानुसार कहा है:-

"17. यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति बालिग हो जाता है तो वह अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता ऐसे अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह को मंजूरी नहीं देते हैं, तो वे अधिकतम इतना कर सकते हैं कि वे बेटे या बेटी के साथ सामाजिक संबंध तोड़ सकते हैं, लेकिन वे धमकी नहीं दे सकते हैं या हिंसा के कृत्य नहीं कर सकते हैं या उकसा नहीं सकते हैं और ऐसे अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते हैं। हम, इसलिए, निर्देश देते हैं कि पूरे देश में प्रशासन/पुलिस अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि यदि कोई लड़का या लड़की, जो बालिग है, किसी बालिग महिला या पुरुष के साथ अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करता है,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तो जोड़े को किसी के द्वारा परेशान नहीं किया जाए और न ही धमकियों या हिंसा के कृत्यों के अधीन किया जाए, और जो कोई भी ऐसी धमकियां देता है या परेशान करता है या हिंसा के कार्य करता है, खुद या उसके उकसावे पर, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करके कार्रवाई की जाए और आगे कड़ी कार्रवाई की जाए जैसा कानून द्वारा प्रदत्त हैं।"

6. याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा की भी गृहण लगाई है जो सम्मान के साथ अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
7. उपरोक्त पर विचार करते हुए, प्रतिवादियों को यह निर्देश देते हुए रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन और स्वतंत्रता में किसी भी तरह से हस्तक्षेप न करें।
8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट इस मुद्दे पर पहले से ही पंजीकृत है, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगा।
9. हालाँकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की उम्र या कथित विवाह की सत्यता/वैधता पर कोई निर्णय नहीं लिया है।
10. याचिकाकर्ताओं को आज से दो महीने के भीतर "उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017" के तहत अपनी शादी का पंजीकरण कराना होगा।
11. संबंधित विवाह रजिस्ट्रार को यथाशीघ्र कानून के अनुसार सख्ती से याचिकाकर्ताओं को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रारम्भ करने और जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

मार्च 19, 2026

एस. शिवहरी/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।